तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स उनवान रामजीलाल बनाम रामेश्वरलाल वगै0 प्रार्थना पत्र बाबत्अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नं. 56/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/4/25	पत्रावली आज दिनांक को राजीनामा पर आदेश बाबत् पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील पक्षकारान ने एक अन्य राजीनामा भी पेश किया जिसमें त्रुटि होने के कारण नोटप्रेस किया गया तथा पुनः राजीनामा पेश कर वकील पक्षकारान ने पक्षकारान की मौजुदगी में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम छावसरी की सरहद में खसरा नम्बर 990 रकबा 3.23 है0, खसरा नम्बर 1004 रकबा 1.26 है0, खसरा नम्बर 1040 रकबा 2.00 है0, खसरा नम्बर 1321/1024 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1335/950 रकबा 0.24 है0 तथा ग्राम बामलास की सरहद में खसरा नम्बर 602 रकबा 2.11 है0 भूमि स्थित है। उपरोक्त प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है। पक्षकार अब आगे स्थगन नहीं चलाना चाहते हैं। अन्त में राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया है कि ग्राम छावसरी की सरहद में हाल खसरा नम्बर 990, 1004, 1321/1024, 1335/950 व ग्राम बामलास की सरहद में खसरा नम्बर 602 रकबा 2.11 है0 पर जारी स्थगन खारिज फरमाने का आदेश फरमाया जावें। राजीनामा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह जाहिर है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 28.05.2012 को ग्राम छावसरी पटवार हल्का टीटनवाड की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 990, 1004, 1040, 1321/1024, 1335/950 की भूमियों में स्थगन आदेश जारी किया गया था। पक्षकारान द्वारा पेश किए गए राजीनामा को न्यायालय की लोकहित की भावना के मध्यनजर पोषणीय होने से आंशिक स्वीकार किया जाकर दिनांक 28.05.2012 को जारी किए स्थगन आदेश को निरस्त कर पत्रावली को इसी स्तर पर राजीनामा के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल मूल वाद के साथ नत्थी हो। सहायक कलक्टर झुन्झुनूं	